

14th August, 2026

National Stock Exchange of India Ltd. (Listing Compliance) 'Exchange Plaza', C/1, Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051	BSE Limited (Listing Compliance) 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P. J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001
Symbol: UNITECH	Scrip Code: 507878

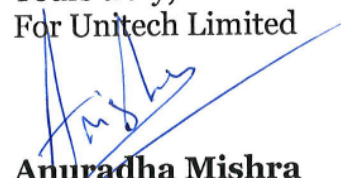
Subject: Compliance under Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

In compliance with regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper publication of financial results of the Company for the quarter ended 30th June, 2026, published on 14th August, 2026 in all editions of 'Mint' and 'Veer Arjun' Delhi edition.

This information is being sent in compliance of the applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, for your record.

Yours truly,
For Unitech Limited


Anuradha Mishra
Company Secretary & Compliance Officer
Encl: As above



Anuradha Mishra

Digitally signed by Anuradha Mishra
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=122002,
st=Gurgaon, st=Haryana, st=sect=CT1581 FIRST FLOOR,
SECTOR 74, Haryana India 122002,
st=IN, email=anuradha.mishra@unitechgroup.com,
cn=Anuradha Mishra
Date: 2026.08.14 15:38:56 +05'30'

Krafton is looking to play a new game in India, bets on AI

A portrait of a man with dark hair and a mustache, wearing a black zip-up jacket with the word "KRAFTON" in white on the left chest. He is standing in front of a blurred background that appears to be an office or a modern interior space.

For an extended version of this story, go to livemint.com.

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2026				
(₹ in Crores, unless otherwise stated)				
Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	30/06/2026	31/03/2026	30/06/2025	31/03/2026
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total income from operations	96.38	110.35	75.99	405.98
(Loss) / profit before impact of foreign currency transactions and translations, exceptional items and tax	(3.85)	14.70	1.07	22.26
Net (loss) / profit for the period (before exceptional items and tax)	(2.46)	15.32	1.18	23.74
Net (loss) / profit for the period before tax (after exceptional items)	(2.46)	15.32	1.18	18.50
Net (loss)/profit for the period after tax (after exceptional items)	(2.40)	15.18	1.16	18.23
Total Comprehensive Income for the period / year (net of taxes) - (loss) / gain	(2.23)	14.75	1.10	17.42
Earnings before interest, tax, depreciation & amortisation and other income (EBITDA)	(2.39)	17.26	2.33	31.78
Paid-up equity share capital (face value of ₹2 each)	35.52	35.50	33.96	35.50
Other equity as shown in the audited Balance Sheet				665.05
(Loss) / earnings per share of ₹2 each before exceptional item:				
- Basic (in ₹)	(0.14)*	0.89*	0.07*	1.38
- Diluted (in ₹)	(0.14)*	0.88*	0.07*	1.37
(Loss) / earnings per share of ₹2 each after exceptional item:				
- Basic (in ₹)	(0.14)*	0.89*	0.07*	1.07
- Diluted (in ₹)	(0.14)*#	0.88*	0.07*	1.06

* Not annualised

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of standalone financials results for the quarter ended on 30 June 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results are available on the stock exchange's websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and Company's website (www.blackbox.com).

2 These standalone unaudited financial results (the 'Statement') of Black Box Limited ("the Company") have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34, Interim Financial Reporting ("Ind AS 34"), prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), and other accounting principles generally applicable in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).

The effect of 107,100 potential equity shares outstanding as at 30 June 2026 is anti-dilutive and thus these shares have not been considered in determining diluted loss per share.

The Statement has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 12 August 2026. The Statutory Auditors have carried out a limited review of this Statement.



FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
SAJEEV VERMA
WHOLE-TIME DIRECTOR
DIN: 06971680

Place: Dallas, Texas, United States of America
Date: 12 August 2026

संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष के सांसदों ने किया प्रदर्शन आप छोड़ी क्योंकि बात नहीं सुनी जा रही थी : हरभजन

नई दिल्ली, (भाषा)। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्षी इंडिया गठबंधन के सदस्य बृहस्पतिवार को संसद के मकर द्वार के निकट प्रदर्शन करते हुए आमने-सामने आ गए और उन्होंने पुरजोर नारेबाजी की। सत्तापक्ष ने जहां झारखंड में नौकरी के अस्थायियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर वही, विपक्ष ने अयोध्या में राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया तथा एक-दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। राजग सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जवाब देने की मांग की और आरोप लगाया कि वह देशभर में छात्रों के प्रदर्शनों पर बहस से भाग रहे हैं। वहीं, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने पेपर लोक के खिलाफ 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शनों के दौरान कथित पुलिस ज़्यादाती को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की मांग की। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा भी उठाया। आमने-सामने आने से

राहुल संसद में चर्चा से बचते हैं, विदेश की धरती पर राजनीतिक बयान देते हैं : प्रह्लाद जोशी

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में नेता प्रतिक्ष राहुल गांधी पर संसदीय संस्थाओं की लगातार उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि वह सदन में सार्थक चर्चा से बार-बार बचते हैं तथा विदेश की धरती पर राजनीतिक बयान देना पसंद करते हैं। जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रश्नपत्र लोक के मुद्दे पर चर्चा और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की थी, जिस पर सरकार सहमत भी हो गई थी, लेकिन विपक्ष ने पीछे हटने का विकल्प चुना। जोशी ने एक्स पर कहा, कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसद-बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मानसून सत्र में व्यवधान उस व्यक्ति के अहंकार को दर्शाता है, जो संसद में सार्थक बहस से बार-बार बचता है और विदेश की धरती पर राजनीतिक बयान देना पसंद करता है। उन्होंने कहा, 95 बार जनता द्वारा नकारे जाने के बावजूद कांग्रेस नेता अपनी बार-बार की विफलताओं से सीखने को तैयार नहीं दिखते। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के आचरण को निंदनीय और संसदीय लोकतंत्र के साथ कुठाराघात बताया। मंत्री ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा और गृह मंत्री के बयान की मांग की थी और सरकार इस पर सहमत हो गई। लेकिन जब अवसर आया, तो जिस व्यक्ति ने इसकी मांग की थी, उसी ने पीछे हटने का विकल्प चुना।

कोलकाता के सरकारी अस्पताल में एक नर्स मृत मिली

कोलकाता, (भाषा)। कोलकाता के नीलरतन सरका मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 30 वर्षीय एक नर्स मृत मिली। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, नर्स बुधवार रात अस्पताल की विशेष निगरानी इकाई में ड्यूटी पर थी। पुलिस ने बताया कि शुकआती जांच के मुताबिक, वह रात करीब आठ बजे ड्यूटी पर आई थी और रात करीब साढ़े 10 बजे खी रोग विभाग भवन के प्रसव-पूर्व बार्ड स्थित कर्मचारी के लिए बने शौचालय में गई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, जब वह काफी देर तक नहीं लौटी, तो उसके सहकर्मियों ने जाकर देखा और शौचालय का दरवाजा अंदर से बंद था। बार-बार खटखटाने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उनमें से दो लोगों ने दरवाजा तोड़ा और देखा कि वह फर्श पर अचेत अवस्था में पड़ी थी।

उन्होंने बताया कि नर्स की जांच के लिए डॉक्टर को बुलाया गया, जिन्होंने बाद में उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद एंटीलॉ थाने के कर्मी और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट जांच दल के अधिकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में शरीर पर चोट के कोई प्रत्यक्ष निशान नहीं मिले हैं और न ही कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है। उन्होंने कहा, हमें संदेह है कि टीके के जरिए एनेस्थेटिक दवा की अत्यधिक मात्रा में लेने से संभवतः नर्स की मौत हुई होगी। हालांकि, हमारी टीम सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है।



मानसून सत्र के दौरान संसद परिसर में कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड़ा, केसी बेणुगोपाल एवं अन्य विपक्षी विरोध प्रदर्शन करते हुए।

पहले राजग और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने अलग-अलग प्रदर्शन किया। राजग सांसद मकर द्वार की सीढ़ियों पर बैठे और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने उन पर झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर

चर्चा से भागने का आरोप लगाया। तखियां लिए विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार के सामने खड़े हुए और अमित शाह माफी मांगा, चंदा चोर, गरी छोड़ और चंदा चोर, कहाँ मिलेंगे, भाजपा के

दफ्तर में जैसे नारे लगाए। इंडिया गठबंधन के सांसद करीब तीन सप्ताह से संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सदन में गृह मंत्री शाह की मौजूदगी तथा उनके बयान की मांग कर रहे थे।

नई दिल्ली, (भाषा)। क्रिकेटर से नेता बने हरभजन सिंह ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) छोड़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि वह आप में अपनी बात न सुने जाने से हताश थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे की बढ़ती समस्या को लेकर आप को बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। हरभजन ने यहां पीटीआई मुख्यालय में दिए गए पंडकाट साक्षात्कार में आप छोड़ने के फैसले के बाद जालंधर स्थित उनके आवास के बाहर हुए जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन के बारे में भी बात की। आप ने हरभजन को 2022 में राज्यसभा भेजा था। हालांकि, इस साल अप्रैल में उन्होंने पार्टी के छह अन्य नेताओं के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। हरभजन ने कहा, जब (पंजाब के मुख्यमंत्री) भगवंत मान ने मुझसे आप में शामिल होने के लिए कहा था, तो इसका मकसद राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करना और खेलों से जुड़े मुद्दे उठाना था। मैंने

तभी साफ कर दिया था कि मैं सिर्फ खेलों के बारे में बात करूंगा और राजनीति पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि यह मेरा काम नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे आप से जुड़ने को एकमात्र वजह यह थी कि इससे मुझे न सिर्फ पंजाब में, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों को बढ़ावा देने का मौका मिल रहा था। लेकिन जब मैंने अपने विचार रखने को कोशिश की, तो पार्टी में मेरी बात नहीं सुनी गई। मेरे विचार बस विचार ही बनकर रह गए। हरभजन ने कहा कि पार्टी के सामने अपना नजरिया रखने की तमाम कोशिशों के बावजूद लगातार दरकिनार किए जाने से आखिरकार वह तंग आ गए। उन्होंने कहा, ...मैं जिस काम के लिए आप में शामिल हुआ था, वह हो ही नहीं रहा था। अगर मेरे सुझाए रास्ते पर एक छोटा-सा कदम भी उठाया गया होता तो मैं पार्टी नहीं छोड़ता। लेकिन पार्टी में शामिल होने का मेरा मकसद ही पूरा नहीं हो रहा

PUBLIC NOTICE
My client Sh. Hukum Singh S/o Late Mohar Singh R/o M-184, Gali No.13, Shastri Nagar, North West, Delhi-110052 have disown/debarred their daughter-in-laws (1) Renu W/o Late Pursotam Singh and (2) Akshay Vimal W/o Late Vimal and their children from all his movable and immovable properties including property No. M-124, Gali No.13, Shastri Nagar, North West, Delhi-110052 and severed all his relations with them, as they are not in control of my client and misbehave with my client. If anybody deals with them, he/she shall do so at his/her own risk and my client shall not be responsible. **RUPESH KUMAR MISHRA** Advocate, Ch. No. C-21, 1st Floor, C.L. Joseph Block, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.

PUBLIC NOTICE
Be known to the public at large that my clients Sh. Harinder Singh and his wife Smt. Paramjeet Kaur Both R/o B-43, Udhay Vihar, Transfamer wall Gali, Niloti, West Delhi, Delhi-110041 have severed all their relations with their son Harnek Singh and his wife Smt. Anusuya Biswa both are residing separately, and my above clients debarred them from their movable and immovable property, since they both do not have any respect for my clients, if any person/s deals with them, do the same at his/her/their own responsible. **Gurusharan Singh**, Advocate, Chamber No. 511, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi-110 054.

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
धारा 82 सीआरपीसी / 84 बीएनएस देखिए
मेरे सम्मक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **शेख सिनबाद पुत्र: शेख मनन पता: सी-203, जहांगीरपुरी, दिल्ली** ने **case FIR No. 921/2021 U/s 25/54/59 Arms Act**, थाना: **जहांगीरपुरी, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **शेख सिनबाद** मिल नहीं रहा है और मुझे सामाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **शेख सिनबाद** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है।)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **case FIR No. 921/2021 U/s 25/54/59 Arms Act**, थाना: **जहांगीरपुरी, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **शेख सिनबाद** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्मक्ष (या मेरे सम्मक्ष) उक्त परिवाद /युकदमा का उत्तर देने के लिए **दिनांक 26.09.2026** को या उससे पूर्व हाजिर हो।

आदेशानुसार श्री साहिल गुप्ता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी-07 उत्तर, कोर्ट नं. 6, मूल रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

DP/11172/NW/2026 (Court Matter)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
(धारा 82(2) (ii) Cr.P.C./84 BNSS देखिए)
मेरे सम्मक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **संदीप उर्फ छत्री पुत्र सञ्जय निवासी झुग्गी पंज 402, मीरा बाग, पश्चिम विहार, बाहरी जिला, दिल्ली** ने कोर्ट केस एफआईआर नं. **497 /20**, अंतर्गत धारा **392 /411 आईपीसी, थाना विकासपुरी, पश्चिमी जिला, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **संदीप उर्फ छत्री** मिल नहीं रहा है, और मुझे सामाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **संदीप उर्फ छत्री** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि कोर्ट केस **एफआईआर नं. 497 /20**, अंतर्गत धारा **392 /411 आईपीसी, थाना विकासपुरी, पश्चिमी जिला, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **संदीप उर्फ छत्री** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्मक्ष (या मेरे सम्मक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए **दिनांक 21.09.2026** को या उससे पहले हाजिर हों।

आदेशानुसार श्री विनोद कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-05 दक्षिण पश्चिम जिला, कस सं. 09 द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली

यूनिटेक लिमिटेड unitech
CIN: L74899DL1971PLC009720
पंजी. कार्यालय: 6, कम्युनिटी सेंटर, साकन, नई दिल्ली – 110017
टेली: 011-26857338
ई-मेल: share.dept@unitechgroup.com | वेब: www.unitechgroup.com

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल और समेकित) का विवरण

कंपनी के निदेशक मण्डल ने 13 अगस्त, 2026 को हुई अपनी बैठक में, 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल और समेकित) का अनुमोदन कर दिया है। निवेशक वित्तीय परिणाम और साथ में लेखापरीक्षक की समीक्षा रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट <https://www.unitechgroup.com/investor-relations/financial.asp> और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय परिणाम यहां पर उपलब्ध करए गए विकट रिसॉर्स कोड (क्वआर) स्कैन करके भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

टिप्पण: उपर्युक्त सूचना सेबी (सूचीकरण उत्तरदायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) के साथ पठित विनियम 33 के अनुरूप प्रदान की गई है।

कृते यूनिटेक लिमिटेड हस्ता/-

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 13 अगस्त, 2026

डॉ. गिरीश कुमार आहूजा
निदेशक

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 देखिए
मेरे सम्मक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्ता **सुनीता देवी, पत्नी: सुनील केंवट, निवासी: म.नं. ई-4, पुराना नं. 420 /बी, गाजीपुर, दिल्ली;** एवं ई-48, 420बी, गाजीपुर, दिल्ली ने मुकदमा **FIR No. 148/2021, U/s 356/379/411/34 IPC**, थाना: **राजिन्द्र नगर, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्ता **सुनीता देवी** मिल नहीं रही है और मुझे सामाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्ता **सुनीता देवी** फरार हो गयी है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रही है।)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि मुकदमा **FIR No. 148/2021, U/s 356/379/411/34 IPC**, थाना: **राजिन्द्र नगर, दिल्ली** की उक्त अभियुक्ता **सुनीता देवी** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्मक्ष (या मेरे सम्मक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **18.11.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार सुश्री प्रीति न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी-03 (केंद्रीय) कमरा नं. 150, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/11123/CD/2026 (Court Matter)

की? उन्होंने कहा, मेरा उनसे (आप) सवाल है कि पंजाब के लोगों से किए गए बड़े-बड़े वादों का क्या हुआ? आपने पंजाब के लिए क्या किया? यहां गद्दार कौन है? और क्या आपने मुझसे पूछा कि मैंने जो किया, वह क्यों किया? चिर्फ इसलिए कि आप मुझे गद्दार कहते हैं, मैं गद्दार नहीं बन जाता। और न ही आपको कहने से मैं चोर बन जाता हूं।

हरभजन ने कहा, ...मेरा दिल भारत और पंजाब के लिए धड़कता है। अपनी मातृभूमि के लिए मेरे मन में जो प्यार है, उसे किसी और से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इसलिए जो लोग कुछ कहना चाहते हैं, वे कहते रहें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इन सब बातों से अपना ध्यान विचलित होने दूंगा, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा।

NOTICE
INVITATION OF TENDER FOR REGTL SHOPS AT ARMY HOSPITAL (RAK) ON CLOSED BID SYSTEM
1. A closed bid tender is invited from eligible persons for all the following regimental shops, welfare of patients, troops and their families at Army Hospital (R&R), Delhi Cantt-10, initially for eleven months and extendable for a period of maximum five years subject to revision of license fee as per the policy in vogue:-
1.Cycle/Motorcycle repairing Shop and washing point
Location : Near Coy Location
2.Fruit and Veg Shop
Location : Bldg No. P-52
2.Priority of allotment will be given to the following categories of eligible applicants in the order as mentioned through a closed bid system:-
(a) Widows of defence personnel who have died while in service (including those of the late of Battle Casualty and Financial Casualty of defence personnel).
(b) Disabled soldier.
(c) Ex-serviceman.
(d) Spouses/widows of ex-serviceman
Note: Subletting will not be allowed.
Applicants more than 60 years old are not eligible.
3.Application form can be obtained from Main Office, Army Hospital (R&R) from 1000 hrs to 1300 hrs within 07 days of publication of this notice in newspaper.
4.Eligible volunteers may submit their application alongwith self attested copy of discharge book/ documents/PPO within 15 days of publication of the advertisement addressed to :- The Commandant, Army Hospital (R&R) Delhi Cantt-110003T in a sealed envelope or drop in tender Box kept at Main Office under surveillance of CCTV. Allotment will be done on recommendation of a board of officers and intimation will be given to the allottee accordingly.
Note:-
1. Applicants who are already in possession of Regtl shop in any locations or had licence within last three years are not eligible to apply.
2. Bid in open envelope/without envelope/with over writing will not be accepted.
3. Applicants must attach Rs. 200.00 (Rupees two hundred only) Demand Draft in favour of Regimental Fun A/c of Com as processing fee which will be non-refundable.
Brg I/ C Adm & Cdr Tps
Army Hospital (R&R)
for Comdt

सर्विस केंद्रित फार्मल प्रारंभिक लिमिटेड
पंजीकृत लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 27/1 ए, पहली मंजिल, बेरा रोड, अशोक नगर (द्वार सटोर्न) नई दिल्ली-110018
सोने के आभूषणों की नीलामी सूचना
सभी संघीयों को सूचित किया जाता है कि सोने उल्लेखित बरतारंग और गणना ड्रालन - निम्न ग्राहकों, नई दिल्ली के सर्व निम्नलिखित स्थानों का खाते में निजी खेप ग्राहकों के आपूर्ण, जो मोबाय के लिए अतिरिक्त है और निम्न काग-बरा-नोटिया के बावजूद अब क न्याय/निमित्त नहीं किया गया है, इनको कार्यालय/खाते में 31-08-2026, सोमार को दोपहर 01.00 बजे नीलामी/बिक्री के लिए खा जाएगा/बैक कि नीचे दिखाया गया है।

स्वयं सर्विस केंद्रित फार्मल प्रारंभिक लिमिटेड
27/1 ए, पहली मंजिल, बेरा रोड, अशोक नगर (द्वार सटोर्न) नई दिल्ली-110018

नाम	खाता संख्या
01.सुशी प्रीति	SCFLG00410437
02.श्री अर्जुन बादी	SCFLG00410028
03.श्री मोक्ष कानी	SCFLG00410937
04.श्री हरिओम सिंह	SCFLG00411139
05.श्री हरिओम सिंह	SCFLG00411141
06.श्री अमर सिंह	SCFLG00409402
07.श्री हर्षवर्धन सिंह	SCFLG0058116
08.श्री हर्षवर्धन हसन	SCFLG00537548

निम्न ग्राहों: सोनीलराजों को वेब आईडी काईडैन फाईड नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें वेब ग्राहकों को वेब काग-बरा-नोटिया के बावजूद अब क न्याय/निमित्त नहीं किया गया है, इनको कार्यालय/खाते में 31-08-2026, सोमार को दोपहर 01.00 बजे नीलामी/बिक्री के लिए खा जाएगा/बैक कि नीचे दिखाया गया है।

स्वयं सर्विस केंद्रित फार्मल प्रारंभिक लिमिटेड
27/1 ए, पहली मंजिल, बेरा रोड, अशोक नगर (द्वार सटोर्न) नई दिल्ली-110018
UNION BANK OF INDIA VS SAT NARAIN MITTAL & ANR.
To, Mr. Bhanu Prasad Sah S/o Sh. Shripast Sah, R/o 526, 2nd Floor, Krishi Apartment,Block-D, Vikaspuri, New Delhi-110018.
Whereas the above noted petitioner has presented a petition under Article 227 of the Constitution of India which was listed before the court on 28/03/2024 and the Court ordered issuance of notice to you. And whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that you cannot be served in the ordinary manner. Notice is hereby issued that if you wish to defend the above mentioned petition you may cause an appearance to be entered on your behalf either in person or through an advocate duly appointed by you for the purpose before the Court of Joint Registrar (Jrdl.) on 01/09/2026 (actual) at 11.00 a.m.
If no appearance is made on your behalf, by yourself, your pleader or someone by law authorized to act for you in the said petition on the aforementioned date, no further notice of the subsequent date of hearing of the said petition will be given and the same will be heard and determined ex-parte in your absence.
Given under my hand and the seal of this Court, this 24th day of July, 2026.

Sd/- Assistant Registrar/ Registrar General
वैधानिक सूचना: पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उदात्त या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जानकारी पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उदात्त या सेवा की गुणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख को पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होता।